

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (आर-256/92)/अलेसे-11/1095

दिनांक :- 10-02-20

आदेश

श्री राजेश संघी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय कार्यकारी निदेशक, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत कारपोरेशन लि. (रूडसिको), जयपुर के आवेदन के आधार पर निम्नांकित अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.स.	अवकाश की प्रकृति	अवधि (कब से कब तक)	कुल दिवस
1.	रूपान्तरित अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	18.11.2019 से 11.12.2019	24 दिवस (डेबिट किये जाने वाले अर्द्ध वेतन अवकाश 48)

उक्त अवकाशों का इन्द्राज संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।

श्री संघी की दिनांक 12.12.2019 (एक दिवस) को आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय में उपस्थिति को राजस्थान सेवा नियम 7(8)(iii)(ब) के अन्तर्गत नियमित करते हुए दिनांक 18.11.2019 से 12.12.2019 तक का वेतन निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के रिक्त पद के विरुद्ध आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (आर-256/92)/अलेसे-11/1095

दिनांक :- 10-02-20

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत कारपोरेशन लि. (रूडसिको), जयपुर।
3. श्री राजेश संघी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय कार्यकारी निदेशक, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत कारपोरेशन लि. (रूडसिको), जयपुर।
4. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)